मानवाधिकार एवं विकलांगों के अधिकारों सम्बन्धी विधि

1- मानवाधिकारी से क्या अभिप्राय है:-

हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसको जन्म के साथ ही कुछ अधिकार ऐसे मिलते हैं जिन्हें मानवाधिकार की संज्ञा दी जाती है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है क्योंकि प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को हवा, पानी, धूप इत्यादि बराबर उपलब्ध कराये हैं और हर व्यक्ति को जन्म लेने पर देखने के लिये आंखें, सुनने के लिये कान, सूँघने के लिये नाक, बोलने के लिये मुँह इत्यादि एक जैसे दिये हैं इसलिये जब प्रकृति ने मनुष्य के पैदा करने में समानता बरती है तो मनुष्य को भी दूसरे मनुष्य के साथ बिना भेदभाव के समानता का व्यवहार करना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को जियो और जीने देने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतन्त्रता का अधिकार एवं अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार दिया गया है और वास्तव में इन सभी मौलिक अधिकारों की जड़े मानवाधिकारों से ही जुड़ी हुयी हैं। इसलिय जब भी ऐसे मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा कोई हनन किया जाता है तो उसके उपचार हेतु संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में रिट करके सरकार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु मानवाधिकार के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये इसकी सुरक्षा हेतु अलग से कानून बनाया गया है जिसको मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 से जाना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था है और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किया जाता है, जिनके कर्तव्य मानवाधिकार सम्बन्धी अपराधों की जांच करते हुये इसका निवारण करने हेतु उचित कार्यवाही करने की व्यवस्था करना है। मानवाधिकारों में स्वस्थ पर्यावरण, मानवीय अधिकार एवं मानवीय विकास भी सम्मिलित हैं।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (घ) में मानवाधिकारों को निम्नवत परिभाषित किया गया है:-

''**मानवाधिकारों** '' का तात्पर्य जीवन, स्वतन्त्रता, समता एवं व्यक्ति की गरिमा से है जिन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत किया गया अथवा जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में दिये गये हैं एवं भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

प्राय: मानवाधिकार का पुलिस द्वारा हनन सम्बन्धी मामले अधिकतर प्रकाश में आये हैं और मानवाधिकार आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की गई मानवाधिकार के उल्लघंन सम्बन्धी शिकायतों में 50 प्रतिशत से अधिक मामले पुलिस के आपराधिक संव्यवहार से सम्बन्धित हैं। पुलिस अभिरक्षा में हुयी हिंसा जिसमें प्रताड़ना एवं बन्दीगृह में मृत्यु शामिल है पुलिस स्टेशन या बन्दीगृह परिसर में हुई मृत्यु पुलिस प्रधिकार के अन्तर्गत कारित होती है जिसमें पीड़ित व्यक्ति बिल्कुल निसहाय होता है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण प्रताड़ना उन्मूलन करना है एवं समस्त प्रकार की प्रताड़नाओं को प्रतिबन्धित करना है। अभिरक्षात्मक प्रताड़ना मानव गरिमा का खुला उल्लंघन एंव अपमान है। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विस्तृत रुप से विनष्ट करती है। पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग एवं बर्बरता की घटनायें दिन प्रतिदिन घटित होती है और पुलिस आम अभिरक्षाधीन व्यक्ति के साथ क्रूरता का व्यवहार करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जिसमें मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार निहित है। पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मैथर्ड का प्रयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन है। वैसे तो किसी प्रकार की प्रताडना, निर्दयता, अमानवीय व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में आते हैं परन्तु इनको रोकने के लिये विशेष रुप से यह विधि इसलिए बनाई गई है कि यदि राज्य का कृत्य कानून तोड़ने वाला हो जाएगा तो यह विधि को अपमानित करना होगा जो कोई भी राष्ट्र उक्त कार्य को अनुमोदित नहीं करेगा। अत: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष रुप से सृजित किया गया है।

इस मानवाधिकार आयोग के कृत्यों के बावत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में व्यापक व्यवस्था की गई है जो कि निम्नवत है:

धारा-12 - आयोग के कार्य - आयोग निम्नलिखित में से कोई अथवा सब कृत्य में व्यापक व्यवस्था की गई है जो कि निम्नवत हैं -

(क) अपनी प्रेरणा से अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर निम्नलिखित की जाँच करेगा:-

(i) मानवाधिकारों का उल्लंघन अथवा उनका दुष्प्रेरण,

(ii) ऐसे उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक द्वारा बरती असावधानी,

(ख) मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में जबकि मामला न्यायालय में लम्बित अवस्था में हो तो उस न्यायालय की स्वीलकृति से मध्यस्थता करना,

(ग) किसी जेल अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन किसी संस्था का परिभ्रमण करना जब कि वहाँ व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया हो, एवं ऐसे भ्रमण का उद्देश्य जीवन सम्बन्धी दशाओं का अध्ययन करना हो।

(घ) संविधान अथवा अन्य किसी विधि में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये किये गये रक्षोपया की समीक्षा करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सुझाव देना,

(ड.) मानवाधिकार के उपयोग को निरुद्ध करने वाली आतंकवादी गतिविधियों की समीक्षा करना तथा उनके उपचार के लिये सुझाव देना,

(च) मानवाधिकारों से सम्बन्धित अंतराष्ट्रीय लिखतों एवं संधियों का अध्ययन करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सुझाव देना,

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों को मानवाधिकारों से परिचित कराना,

(झ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाली गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना,

(य) मानवाधिकारों को प्रोन्नत करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करना।

2- मानवाधिकार के हनन सम्बन्धी आयोग द्वारा जाँच कैसे की जाती है:

जब भी कोई मानवाधिकार हनन का मामला हो तो उसकी शिकायत सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जा सकती है या सम्बन्धित राज्य के मानवाधिकार आयोग को भेजी जा सकती है, जिसमें ऐसी शिकायत मिलने पर सम्बन्धित मानवाधिकार आयोग उसके बारे में जिस राज्य सरकार या अधिकरण या संगठन के विरुद्ध यह शिकायत प्राप्त हयी है उससे एक निर्धारित समय के अन्दर रिपोर्ट भेजने के लिये कहा जाता है और यदि उस निर्धारित अवधि के अन्दर ऐसी शिकायत पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो आयोग स्वयं उस पर जाँच करा सकता है। जब ऐसे मानवाधिकार हनन की शिकायत पर रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और उस रिपोर्ट पर यदि आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा उसमें पर्याप्त कार्यवाही की जा चुकी है और आगे कार्यवाही करने की जरुरत नहीं है तो उस स्थिति में वह उससे सन्तुष्ट होते हुये इसके बारे में शिकायतकर्ता को सूचित कर सकता है परन्तु यदि वह आयोग सरकार या सम्बन्धित अधिकरण या संगठन से प्राप्त ऐसी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं होता है तो शिकायत की प्रकृति को देखते हुये वह स्वयं उसकी जाँच प्रारम्भ कर सकता है।

3- जाँच करने सम्बन्धी आयोग की शक्तियाँ :-

जब आयोग द्वारा मानवाधिकार हनन की किसी शिकायत के बारे में स्वयं जाँच करनी होती है तो निश्चय ही उसमें जाँच की सत्यता को जानने के लिये गवाहों के बयान लेना,पब्लिक रिकर्ड का परिशीलन करना इत्यादि की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक ही है। इस सम्बन्ध में इस मानवाधिकार अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत आयोग को सिविल न्यायालय की तरह सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है, जिसके अन्तर्गत गवाहों को सम्मन जारी करके उपस्थित कराना, दस्तावेजों को पेश करने हेतु एवं किसी पब्लिक रिकार्ड को मंगवाना इत्यादि सभी शक्तियाँ सम्मिलित हैं। आयोग को सशक्त करने के लिये इसके सम्मुख जो भी कार्यवाही की जाती है उसको न्यायिक कार्यवाही के रुप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आयोग किसी मामले की जाँच व अन्वेषण करने के लिए किसी भी अन्वेषण एजेन्सी की सहायता लेते हुए उससे अपनी रिपोर्ट एक निर्धारित अवधि में देने के लिए निर्देश दे सकता है। आयोग के सम्मुख जो भी गवाहों द्वारा बयान दिया जायेगा उनकी प्रति गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के उददेश्य से आयोग के सम्मुख दिये गये ऐसे बयानों को अन्य किसी फौजदारी या दीवानी न्यायालय में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि उस व्यक्ति द्वारा आयोग के समक्ष दिया गया बयान झूठा न हो और इस प्रकार गवाहों को बिना किसी डर के आयोग के सम्मुख बयान देने के लिये पर्याप्त सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

4- शिकायत पर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग क्या कदम उठाने में सक्षम है:-

जहाँ पर किसी मानवाधिकार हनन की शिकायत की जाँच में यह पाया जाता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है या मानवाधिकार के हनन को रोकने में लोक सेवक द्वारा लापरवाही बरती गई है तो उस स्थिति में आयोग को ऐसे मानवाधिकार हनन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये अपनी संस्तुति सम्बन्धित सरकार या अधिकरण को भेजेगा और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य कार्यवाही करना जरुरी होगा उसके लिये भी वह अपनी संस्तुति भेज सकता है। चूँकि आयोग को स्वतंत्र रुप से किसी भी मानवाधिकार हनन करने वाले के विरुद्ध सीधे कार्यवाही करने का अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि केवल कार्यवाही करने की संस्तुति का ही अधिकार दिया गया है इसलिये इस सम्बन्ध में मानवाधिकार हनन के संबंध में कार्यवाही सम्बन्धित सरकार या संगठन को ही करनी होती है और आयोग केवल उसमें कार्यवाही करने के लिए अपनी संस्तुति ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन की प्रवृत्ति को देखते हुये आयोग उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को निर्देश जारी करने या रिट करने सम्बन्धी कार्यवाही करने में सक्षम है। इस प्रकार जब भी आयोग द्वारा किसी मानवाधिकार हनन की शिकायत की जाँच में मानवाधिकार के हनन करने की जाँच रिपोर्ट मिलती है तो उस जाँच रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित सरकार या अधिकरण को अपनी संस्तुति के साथ एक माह के अन्दर अपनी टिप्पणी के साथ सरकार या अधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही करना प्रस्तावित है उसको आयोग को भेजने हेतु निर्देश कर सकता है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन से पीडित व्यक्तियों को सरकार द्वारा राहत उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित सरकार या अधिकरण को अपनी संस्तुति भी भेज सकता है।

5- मानवाधिकार हनन सम्बन्धी अपराध घटित होने के एक वर्ष के अन्दर ही आयोग को शिकायत करना आवश्यक है:-

जब भी मानवाधिकार हनन करने सम्बन्धी कोई घटना घटित होती है तो उसके लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि मानवाधिकार हनन सम्बन्धी जो घटना घटित होती है उसके एक वर्ष के अन्दर ही उसकी शिकायत आयोग को की जानी चाहिये। यदि एक वर्ष के अन्दर आयोग को इसकी शिकायत नहीं की जाती है तो उस रिपोर्ट पर घटना के एक वर्ष बाद कोई कार्यवाही आयोग नही करेगा। इसलिये जैसे ही कोई मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके लिये एक वर्ष के अन्दर ही इसकी सूचना सम्बन्धित मानवाधिकार आयोग को दे देनी चाहिये।

6- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियों में क्या भिन्नता है :-

चूँकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ बराबर ही है परन्तु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्र स्तर पर गठित किया जाता है जब कि प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करता है परन्तु प्रश्न यह उठता है कि जब दोनों आयोगों का कार्य एक जैसे है तो इनके अलग-अलग गठन करने की क्या आवश्यकता है। इस संबंध में यहाँ स्पष्ट उल्लेख करना उचित होगा कि यदि मानवाधिकार के हनन सम्बन्धी कृत्य, जो संविधान की अनुसूचि 2 एवं 3 के अन्तर्गत आता है तो उन सभी शिकायतों के बारे में जांच करने की शक्तियां राज्य मानवाधिकार आयोग को दी गयी है जबकि संविधान की अनुसूची 1 के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में मानवाधिकार हनन की जांच की शक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी गई है। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य मानवाधिकार आयोग से श्रेष्ठता इस रूप में दी गयी है कि यदि किसी मानवाधिकार हनन की शिकायत की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पहले से की जा रही है तो उस बाबत जांच रिपोर्ट राज्य मानवाधिकार आयोग को करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये प्राय: जब भी सम्बन्धित राजय के अन्तर्गत जो भी मानवाधिकार हनन संबंधी अपराध हो तो उसके लिये सुगमता से इसकी रिपोर्ट राज्य के मानवाधिकार आयोग को शिकायत करके उचित कार्यवाही की जा सकती है। जिन राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया गया है वहां सभी मानवाधिकार हनन संबंधी शिकायतों को सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ही सूचित किया जा सकता है।

7- मानवाधिकार न्यायालय:-

मानवाधिकार सम्बन्धी सभी अपराधों के शीघ्रतिशीघ्र परीक्षण करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत मानवाधिकार न्यायालय गठित करने का प्राविधान किया गया है और यदि विशेष मानवाधिकार न्यायालय गठित नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में सेशन्स न्यायालय को ही मानवाधिकार न्यायालय की सभी शक्तियां देने की व्यवस्था इसी ध ारा में की गयी है। इस प्रकार जो भी मामला मानवाधिकार उल्लंघन से सम्बन्धित होता है उनकी शिकायत मिलने पर आयोग उनकी सम्बन्धित एजेन्सी से जांच करवाकर रिपोर्ट देने का आदेश करता है और यदि कार्यवाही करना आवश्यक होता है तो ऐसी कार्यवाही करने के लिये अपनी संस्तुति देता है। इसके साथ-साथ यदि आयोग उचित समझे तो वह मानवाधिकार उल्लंघन अपराधों की घटनाओं की अपने स्तर से भी जांच करवा सकता है और मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दण्ड

देने के लिये साधारण न्यायालय के स्थान पर मानवाधिकार न्यायालय के माध्यम से अपराधों का परीक्षण कराकर अपराधी को दण्डित करने की व्यवस्था की गई है। चूंकि मानवाधिकार सम्बन्धी जो भी अपराध होते हैं वह निश्चय ही भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत किसी न किसी धारा में दण्डनीय अपराध होते हैं लेकिन अपराधों की गम्भीरता को देखते हुए इसके विचारण के लिए इस मानवधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अन्तर्गत मानवाधिकार न्यायालय के गठन करने की व्यवस्था की गई है और जहां ऐसा कोई गठन नहीं उस स्थिति में जनपद के सेशन्स न्यायाधीश को मानवाधिकार न्यायालय की शक्तियां निहित की गयी हैं जिससे कि मानवाधिकार उल्लंघन सम्बन्धी मामलों का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण करके अपराधियों को दण्डित किया जा सकें।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना भी मानवाधिकार के विरूद्ध पाया जिसके परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में पेश करने को भी निषिद्ध किया गया है इसलिये कि पुलिस अब कैदियों को हथकड़ी न लगाकर हाथ पकड़कर न्यायालय में पेश करते हैं। इस परिपेक्ष्य में यहां उल्लेख करना उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्रिमिनल मिसलेनियस पीटिशन संख्या 12704/2001 दिलीप के0 बसू इत्यादि बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य में मानवाधिकार से सम्बन्धित निर्देश दिये हैं जिसके अनुसार पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में बरती जाने वाली सावधानियां निम्नवत् हैं।

1- पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसका इण्टरोगेशन करने के समय उसका नाम, पता, शिनाख्त, पेशा एवं कौन उसका इण्टोरोगेशन कर रहा है सम्बन्धी समस्त विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

2- सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी एवं इण्टरोगेशन करने के बाद गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना होगा जिसके कम से कम एक गवाह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार का होगा या उसी के क्षेत्र का हो एवं उसमें गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराने हांगे और गिरफ्तार करने का समय एवं तारीख का उल्लेख किया जाना होगा।

3- किसी भी गिरफ्तार किये हुये व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में जब उससे इण्टरोगेशन की जायेगी तो उसका अपना एक दोस्त या रिस्तेदार या ऐसा व्यक्ति जिसे जानता हो या उसके प्रति हितबद्ध होगा अर्थात् ऐसे ही व्यक्ति की उपस्थिति में पुलिस द्वारा उसकी इण्टरोगेशन अर्थात् गहन पूछताछ की जा सकती है।

4- किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने पर गिरफ्तारी के 8 से 12 घण्टे के बीच से गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के दोस्त को या घरवालों को या यदि व जिले से बाहर रहता है तो उसको तार द्वारा गिरफ्तारी की सूचना दी जानी होगी।

5- जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्त को यह अधिकार होगा कि वह अपने किसी परिचित व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे दे।

6- गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को वावत उसको थाने की हिरासत में रखने एवं उसके सम्बन्धी या जानकार को उसकी गिरफ्तारी की सूचना करने व सिक्ख पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी में रखा गया है इत्यादि का इन्द्राज डायरी में किया जाना आवश्यक है।

7- किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार किये जाने पर यदि उसके शरीर पर चोटें हों तो उसकी जांच करके निरीक्षण मेमो तैयार किया जाना होगा जिस पर दोनों गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति एवं पुलिस अधिकारी जिसने उसको गिरफ्तार किया है, उन दोनों के हस्ताक्षर कराना जरूरी होगा।

8- गिरफ्तार किये हुये व्यक्ति का डाक्टरी मुआइना किसी प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा पुलिस की हिरासत से हर 48 घण्टे के बाद किया जाना होगा।

9- सभी गिरफ्तारी मेमो व अन्य कार्यवाही जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है उसकी प्रतियों को इलाका मजिस्ट्रेट को अवलोकनार्थ व हस्ताक्षर हेतु भेजा जाना आवश्यक होगा।

10- गिरफ्तार किए गऐ व्यक्ति को इस बात की अनुमति होगी कि वह इण्टरोगेशन अर्थात् गहन पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिल सकता है।

11- प्रत्येक जिले के स्टेड हेड क्वार्टर पर एक पुलिस कण्ट्रोल रूम कार्यरत होना चाहिये जहां पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होने सम्बन्धी सूचना पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के 12 घण्टे के अन्दर वहां देनी होगी और पुलिस कण्ट्रोल रूम को इसकी किसी सहजदृश्य (कौन्सपीकुअस) वाले स्थान पर नोटिस बोर्ड पर चश्पा करना होगा।

इस प्रकार पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग एवं बर्बरता की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस विशेष अधिनियम को सृजित किया गया है।

विकलांगों के अधिकारों सम्बन्धी नई विधि

हमारे देश में दुर्भाग्य से विकलांगों की दशा ठीक नहीं है और न ही उनको पर्याप्त सुरक्षा ही उपलब्ध है। जहां तक उत्तराखण्ड राज्य का प्रश्न है यहां विकलांगों की दशा और भी बुरी है क्योंकि विकलांगों के पुनर्वास के लिये कोई भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विकलांगों को बराबर अवसर देना, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना एवं समाज में उन्हें पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से विशेष अधिनियम सृजित किया गया है जिसको समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं प्रतिनिधित्व अधिनियम 1995 से जाना जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह विकलांगों के लिये विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करें जिसमें ऐसे सभी विकलांगों को जो नौकरी लेना चाहते हैं उनके बारे में, जो नियोजक है ऐसे विकलांगों को नौकरी देते हैं उनके बारे में, एवं ऐसे पद जहां विकलांगों को नौकरी दी जा सकती है वहां का पूरा विवरण एवं व्यवस्था हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम में राज्य से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह कोओर्डिनेशन कमेटी का गठन करें ताकि इस कमेटी के माध्यम से ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जा सके जिससे कि इन विकलांगों की समस्याओं का ध्यान रखते हुये उनका पुनर्वास किया जा सके।

विकलांगों की सुरक्षा हेतु बनाये गये इस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगों को शिक्षा देने, रोजगार देने, विकलांगों के पदों को सुरक्षित करने एवं पुनर्वास करने के लिये योजनायें बनाने इत्यादि की व्यापक व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम में यह स्पष्ट प्राविधान है कि प्रत्येक विकलांग जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसे नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाय तथा ऐसे सभी विकलांग बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें और शिक्षा के लिये जो भी अन्य सामग्री की आवश्यकता हो उसको सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाय।

जहां तक विकलांगों को रोजगाार देने का प्रश्न है इस अधिनियम के अन्तर्गत यह भी राज्य का दायित्व है कि वह ऐसे पदों की शिनाख्त करे जो विकलांगों के लिये आरक्षित किये जा सकते हैं और हर तीन वर्ष के बाद इसका पुनरावलोकन करें और टेक्नोलॉजी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक पदों पर विकलांगों को नौकरी देने पर उनकी सहायता की जा सके। जहां तक विकलांगों के लिए नौकरी में पदों को आरक्षित करने का प्रश्न है इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में कम से कम 3 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए ही आरक्षित किये जाये। इसके साथ-साथ राज्य का यह भी दायित्व है कि वह विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करें। सभी शिक्षण संस्थाओं में 3 प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित किये जायें तथा इन विकलांगों को नौकरी देने के सम्बन्ध में नियोजकों को अपनी पूर्ण क्षमता में 5 प्रतिशत कम से कम विकलांगों को रखने के लिए प्रेरित किया जाय तथा राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गयी है कि भूमि के आबंटन में विशेष रूप से विकलांगों के लिए देने पर विचार किया जाय तथा विकलांगों की सहायता हेतु रोजगार कार्यालय इत्यादि को भी उपलब्ध कराने के लिए योजनायें बनाकर इसको क्रियान्वित करें। इस प्रकार अब कानून द्वारा सरकार को बाध्य कर दिया गया है कि वह विकलांगों की शिक्षा, पुनर्वास, रोजगार इत्यादि में विशेष ध्यान देते हुए उनकी सहायता हेतु उचित उपाय करें ताकि विकलांगों को आवश्यक सहारा देते हुए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता मिल सके। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि इस नए अधिनियम में विकलांगों के लिए जो सुविधाएं एवं अधिकार उपलब्ध कराये गये हैं, उनका वास्तविक लाभ विकलांगों को प्राप्त हो सके।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –